हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चतुर्थ सत्र

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018/21 मार्गशीर्ष,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए
   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री महेन्द्र सिंह, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(1) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखेंगी ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **22वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का **23वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(v) समिति का **24वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का **25वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का **27वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **सचिवालय प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है;

(ix) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(x) समिति का **29वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

(xi) समिति का **30वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 172वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और

(xii) समिति का **31वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 173वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य,लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19), समिति के **9वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 31वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा)(वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **दसवां कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री जीत राम कटवाल, झण्डूता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्माणाधीन फोरलेन परियोजना से स्थानीय जनता को हो रहे नुकसान व असुविधा " से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. विधायी कार्य :

(I) सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

(i) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 61) का संशोधन करने के लिए

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 12)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ii) श्री जय राम ठाकुर,मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का संशोधन करने के लिए

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 13)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iii) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14)	हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण अधिनियम, 1999 (2000 का अधिनियम संख्यांक 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(iv) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि

हिमाचल प्रदेश गोवंश संरक्षण और संवर्धन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 11)	राज्य में गायों के परिरक्षण, संरक्षण और उनके कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गो-सेवा आयोग की स्थापना करने और इस प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

6. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

(1) **श्री राकेश पठानिया**
श्री बलबीर सिंह
श्री बिक्रम सिंह जरयाल
श्री परमजीत सिंह
प्रस्ताव करेंगे कि:

"**प्रदेश की नौजवान पीढ़ी में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु** यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री होशयार सिंह,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"**हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये फैसले के अनुरूप पौंग बांध विस्थापितों के पुर्नवास हेतु** यह सदन विचार करे।"

धर्मशाला-176215
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2018

यशपाल शर्मा,
सचिव ।

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)